

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

परियोजना/स्कीम का स्थान

1.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
2.	जिला	खीरी
3.	वन प्रभाग	दक्षिण खीरी वन प्रभाग
4.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	24.06 हे0
5.	वन की कानूनी स्थिति	रेल पटरी संरक्षित वन स्वामित्व रेल विभाग नियंत्रण वन विभाग
6.	प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	454 पेड़ों की सूची संलग्न
7.	हरियाली का घनत्व	0.1 / Eco Class-III
8.	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण के लिए वनक्षेत्र की संवेदनशीलता नगण्य है।
9.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित भूमि की वन सीमा	0.0 किमी0
10.	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण्य, जैव मण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वाहन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जायें)	नहीं।
11.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ/रकिटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यदि हा तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।	नहीं।
12.	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में हो तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं।
13.	उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 से प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के ब्यौरा के साथ मदवार क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
14.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं।
15.	क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	उत्तर खीरी वन प्रभाग/बफर जोन दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर-खीरी के अन्तर्गत

1-प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनोत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू का आकार	1-मोहम्मदपुर वन ब्लाक-10.0 हे०, उत्तर निघासन रेंज जंगल मटेरा वन ब्लाक-13.0 हे०, धौरहरा रेंज जंगल नं०-11, 10.0 हे०, दक्षिण निघासन रेंज लाल बोझी वन ब्लाक, 16.0 हे०, दक्षिण निघासन रेंज
2-प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनोत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	2-संलग्न है।
3-रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यन्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	3-प्राक्कलन संलग्न है।
4-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	79.86220 लाख 43/4900 ~ 1230/120 ~ समीर कुमार प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग सखीमपुर-खीरी
5-प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	5-प्रमाण-पत्र संलग्न है।
16. जिला उपवन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपयुक्त कालम-7,8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
17. विभाग/जिला प्रोफाइल :	
1-जिला का भौगोलिक क्षेत्र	768000 हे०
2-जिला का वन क्षेत्र	165549 हे०
3-मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग लाया गया वन क्षेत्र।	18 मामले, 153.407 हे०
4-1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
क-दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि	-
ख-वनोत्तर भूमि पर	-
5-प्रतिपूरक वनीकरण हुई प्रगति	
क-वनभूमि पर	153.407 हे०
ख-वनोत्तर भूमि पर	-
18. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	संस्तुति की जाती है।

(समीर कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग।